

## राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(193)नविवि/3/2009पार्ट-II

जयपुर, दिनांक

### आदेश

उदयपुर (नियंत्रण निर्माण क्षेत्र भवन उपविधि) उपविधि-2013 के उपविधि 5(x) एवं (xv) एवं विभागीय आदेश दिनांक 13.12.2017 के बिन्दु संख्या 2(ii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

(ii) उपरोक्त जोन में अधिकतम ऊँचाई जी+2 (12.5 मीटर) एवं अधिकतम आच्छादन क्षेत्र 20 प्रतिशत अनुज्ञेय होगा। परन्तु भूखण्ड पर कुल निर्मित क्षेत्र 35 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाता है। किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक कुल निर्मित क्षेत्रफल के लिए नियमानुसार बैटरमेन्ट लेवी देय होगी। शेष भूखण्ड में से न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार नगर निगम, उदयपुर (नियंत्रित निर्माण क्षेत्र भवन उपविधि) उपविधि-2013 के बिन्दु संख्या 3(iv) (ख) में संशोधन किये जाने हेतु नगर निगम उदयपुर को निर्देशित करें।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा विकास प्राधिकरण।
7. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर)।
9. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
10. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
6131785



शासन उप सचिव-प्रथम